

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 10 /2022/2234060/2022.
लखनऊ दिनांक 03 नवम्बर,2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती है कि मै0 फार्च्यून एगो मार्ट प्रा0 लि0(खसरा सं0 378 ग्राम नगला चमरू, तह0 दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर) के स्वामित्वाधीन चण्डौस पिसावां रोड, ग्राम ऐलमपुरा, तहसील गभाना, जिला अलीगढ़ के नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट कृषि खाद्यान्न के थोक सौदों हेतु 03 वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त स्थान फुटकर व्यापार हेतु प्रयुक्त नहीं किया जायेगा।

मंडी उप स्थल की खसरा एवं चौहददी

गाटा संख्या-288 का कुल भू क्षेत्रफल 1.0860हेक्टेयर, गाटा संख्या-287अ का 0.2168 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या-287व का 0.4400हेक्टेयर । कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खैर , चण्डौस पिसावां रोड, ग्राम ऐलमपुरा , तह0 गभाना , जिला अलीगढ़ मण्डी क्षेत्र में अवस्थित कुल भू क्षेत्रफल 1.7428हेक्टेयर।

पूरब	-	खेत रामपाल सिंह।
पश्चिम	-	खेत राज कुमार व अन्य।
उत्तर	-	चण्डौस-पिसावां रोड।
दक्षिण	-	नाला।

आज्ञा से,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-10/2022/2234060/2022.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 03 नवम्बर,2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ। कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी,अलीगढ़।
- 5- सचिव/सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति,खैर, जनपद अलीगढ़ ।
- 6- फर्म मै0 फार्च्यून एगो मार्ट प्रा0 लि0, खसरा संख्या-378, ग्राम नगला चमरू, तह0 दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर/ चण्डौस पिसावां रोड, ग्राम ऐलमपुरा, तह0 गभाना , जनपद अलीगढ़।

रामप्रीत प्रसाद
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.- 10 /2022/2234060/2022 dated 03 November,2022 :

NOTIFICATION

No.- 10 /2022/2234060/2022

Lucknow; Dated: 03 November,2022

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed below owned by M/s Fortune Agro Mart Private Limited (Khasra No. 378,Village- Nagla Chamru, Tehsil- Dadri, District- Gautam Buddh Nagar) on Chandaus Pisawa road, Village-Elampura, Tehsil-Gabhana, District Aligarh shall function as Market Sub-Yard for specified wholesale transaction of foodgrains for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, with the condition that no market fee shall be charged from the agriculturist-seller and the aforesaid place shall not be used for retail trade.

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

Total land area 1.0860 hectares of Gata No. 288, 0.2168 hectares of Gata No. 2873F and 0.4400 hectare of Gata No. 287व .

Total land Area of 1.7428 hectares located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Khair, Chandaus Pisawa road, Village Elampura, Tehsil Gabhana, District Aligarh.

East : Khet Rampal Singh.

West : Khet Raj Kumar and others.

North : Chandaus-Pisava Road.

South : Nala.

By order,

Dr. Devesh Chaturvedi

Additional Chief Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।